10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(112)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/2373

प्र0क0— (28)

राज दिनांक 28/3/18 को अभिभाषक श्री रंजना गुप्ता द्वारा भोपाल केम्प में प्रस्तुत किया 28/3/18

खेड़ापति हनुमान मंदिर कैलाश गोस्वामी (सचिव)
पुजारी ~~गोविंददास गौड़~~ आ0 ~~जमना प्रसाद~~ गौड़
निवासी—ग्राम—लसूड़िया गोसाई तह.—हुजूर
भोपाल .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

जसवंत सिंह आ. पज पन्नालाल
निवासी—एस—3.8 नेहरू नगर, कोटरा सुल्तानाबाद
भोपाल .... प्रतिप्रार्थी / अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता—1959

निगरानी विरूद्ध आदेश पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्र.क. 39/अ—12/2017—18 दिनांक—2/1/18 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर प्रस्तुत है।

<u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण—</u>

प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने ख.क. 456, 457/2, 458 रकबा कमशः 0.100, 0.410, 0.160 कुल रकबा 0.670 हे. ग्राम लसूड़िया गोसाई तहसील हुजूर, भोपाल प.ह.नं.—. .... का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पर राजस्व निरीक्षक द्वारा मनमाने ढंग से की गई सीमांकन कार्यवाही से दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है ।

<u>निगरानी के आधार</u>

1. यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही भू—संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

2. यह कि निगरानीकर्ता अपने अधीनस्थ व स्वामित्व की भूंमि पर कई वर्षो से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है।

3. यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की पूरी कार्यवाही बाला बाला मनमाने तरीके से संपादित की गई है इसलिये निरस्ती योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2018/2373 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-4 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐंसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-4 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	